इन्हें जानिए और लाभ लें

केन्द्र एवं राज्य शासनों के द्वारा समय-समय पर जनता को सुविधा प्रदान करने हेतु परिपत्र या अधिसूचनाएँ जारी की जाती हैं। उनकी समुचित जानकारी के अभाव में शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं/व्यवस्थाओं का लाभ लेने से जन सामान्य वंचित रह जाता हैं। मध्यप्रदेश शासन के द्वारा निर्गमित तीन शासनादेशों को नीचे सूचित किया जा रहा है। इनके आधार से मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के निवासी इनका सदुपयोग कर/करा सकते हैं। साथ ही अन्य राज्यों में स्थित व्यक्ति अपने प्रदेश में इस प्रकार के शासनादेशों की जानकारी प्राप्त करके जन सामान्य को सुलभ कराने हेतु प्रचारित कर सकते हैं। कदाचित् इस प्रकार के शासनादेश अन्य प्रान्तों में यदि वर्तमान में जारी नहीं किए गए हों तो प्रबुद्ध एवं जागरुक श्रावक, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारी, राजनैतिक दलों से सम्बद्ध कार्यकर्ताओं से भी अपेक्षा की जाती है कि वे इस प्रकार के शासनादेश अपने प्रदेशों में भी निर्गमित कराने हेतु सार्थक एवं समुचित प्रयास करें।

अ. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव बी. एस. वर्मा के हस्ताक्षर से परिपत्र क्रमांक/एम-3/15/85/1/4 भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 1985 को प्रसारित किया गया था। म.प्र. शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष-राजस्व मंडल-ग्वालियर, समस्त संभागाध्यक्ष, समस्त विभागाध्यक्ष एवं समस्त जिलाध्यक्षों को 'अनंत चतुर्दशी के उपलक्ष्य में जैन धर्मावलंबी शासकीय कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश दिये जाने बाबत' निर्देश जारी किया गया था।

उपर्युक्त परिपत्र में निर्देशित किया है कि ''राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि अनंत चतुर्दशी पर्व के उपलक्ष्य में शासकीय सेवाओं/संस्थाओं में कार्यरत सभी जैन धर्मावलंबी कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाय। यह विशेष आकस्मिक अवकाश उन्हीं कर्मचारियों को देय होगा जिन्होंने इस दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हो।''

ब. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार मध्यप्रदेश शासन के स्थानीय शासन विभाग के अवर सचिव एस. पी. वर्मा के हस्ताक्षर से परिपत्र क्रमांक 906/69मं./18-3/90, भोपाल, दिनांक 18.5.90 को शासनादेश जारी हुआ था। इसमें संचालक-नगर प्रशासन-भोपाल, समस्त जिलाध्यक्ष एवं समस्त संभागीय उपसंचालक-नगर प्रशासन-मध्यप्रदेश को 'विशिष्ट अवसरों पर पशुवध गृह बंद रखने बाबत' विषयक निर्देशित किया है कि ''आपके क्षेत्र में स्थित समस्त स्थानीय निकायों को तदनुसार उचित कार्यवाही के लिए निर्देशित करें। इस विभाग ने अपने ही पूर्व के परिपत्र क्रमांक-5666/330/18/नगर/एक, दिनांक 16 अगस्त 1971 को निरस्त करते हुए राज्य शासन के उपर्युक्त परिपत्र के माध्यम से आदेशित किया है कि नीचे दिए गए विशिष्ट अवसरों पर, स्थानीय निकायों की सीमा में स्थित समस्त पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की दुकानें बंद रखी जाया करें। राज्य शासन द्वारा इस हेतु जिन 17 विशिष्ट अवसरों का निर्धारण किया है,

Scanned by CamScanner

वे निम्नलिखित हैं :-

(1) गणतंत्र दिवस (2) गांधी निर्वाण दिवस (3) महावीर जयंती (4) बुद्ध जयंती (5) स्वतंत्रता दिवस (6) गांधी जयंती (7) रामनवमी (8) डोल ग्यारस (9) पर्यूषण पर्व का प्रथम दिन (10) पर्यूषण पर्व का अंतिम दिन (11) अनंत चतुर्दशी (12) जन्माष्टमी (13) संत तारण तरण जयंती (14) पर्यूषण पर्व में संवत्सरी व उत्तम क्षमा (15) भगवान महावीर के 2500 वें निर्वाण (16) चैती चांद एवं (17) गणेश चतुर्थी।''

स. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार मध्यप्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा परिपत्र क्रमांक एम-3-5/1990/1/4, भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 1992 को निर्गमित हुआ था। इस परिपत्र के अनुसार जैन कर्मचारियों को राज्य शासन के द्वारा विशेष सुविधा प्रदान की गई है। इसमें उल्लेखित है कि ''राज्य शासन द्वारा श्वेताम्बर एवं दिगम्बर जैन धर्मावलम्बी कर्मचारियों को प्रतिवर्ष उनके पर्यूषण पर्व के लिये क्रमशः भाद्रपद कृष्ण 11 से भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी या पंचमी तक और भाद्रपद शुक्ल पक्ष 5 से भाद्रपद शुक्ल पक्ष 15 तक धार्मिक कृत्य करने के लिये कार्यालय में 12 बजे तक पहुँचने की सुविधा प्रदान की गई है, बशर्ते कि इससे शासकीय कार्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े और कर्मचारी अपना कार्य अद्यतन रखें।''

पाठकों से अपेक्षा है कि उक्त तीनों परिपत्रों का मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जहाँ वे धार्मिक पत्र-पत्रिकाओं, स्थानीय संवाददाताओं के माध्यम से समाचार पत्रों, धार्मिक गतिविधियाँ संचालित होने वाले योग्य स्थानों, जिन मंदिरों, संस्थाओं के कार्यालयों, चातुर्मास स्थलों में नोटिस बोर्ड आदि के द्वारा जन सामान्य तक पहुँचाएँ, वहीं द्वितीय परिपत्र की प्रति स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस प्रशासन, नगरीय प्रशासन या ग्राम पंचायत निकाय के प्रमुख अधिकारी को उपलब्ध कराएँ ताकि वे यथा समय उसका सम्यक् परिपालन करा सकें।

Scanned by CamScanner